

28.03.2018

परिवादी द्वारा श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

आरोपी अनुपस्थित।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्रीवास्तव द्वारा आवेदन पत्र पेश कर प्रस्तुत परिवाद संपूर्ण राशि जमा हो जाने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में परिवादी विद्युत कंपनी की संपूर्ण राशि जमा हो चुकी है। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र संपूर्ण राशि जमा हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज पंजी कर प्रकरण अभिलेखागार हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश विद्युत
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)